



# भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

49/7, बलबीर रोड़, डालनवाला, देहरादून- 248001

Phone: 0135-2677469, Fax: 0135-2677469, E-mail: bcputtarakhand@gmail.com, Website: www.bcputtarakhand.in

पत्रांक: 2562 / भाचिप/सा-101/2018-19

दिनांक: 07-01-2019

## सूचना

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में संचालित आयुर्वेदिक, पंचकर्म, स्पा, योग व प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2018 व दिनांक 29.12.2018 के क्रम में प्रदेश में संचालित पंचकर्म केन्द्रों हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं-

### भवन मानक

क्र०सं०	भवन/कक्ष	संख्या
1	परामर्श कक्ष	01
2	प्रतीक्षालय	01
3	पंचकर्म कक्ष पुरुष	01
4	पंचकर्म कक्ष महिला	01
5	रसोईघर	01
6	स्नानघर	01
7	शौचालय	01

### कार्मिक मानक

क्र०सं०	कार्मिक का विवरण	संख्या
1	पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक	01
2	पंचकर्म सहायक पुरुष	01
3	पंचकर्म सहायक महिला	01
4	पंचकर्म अटैण्डेन्ट पुरुष	01
5	पंचकर्म अटैण्डेन्ट महिला	01
6	स्वागती	01
7	सफाईकर्मी	01

निर्धारित आवश्यक सामग्रियों की सूची परिषद की वेबसाइट [www.bcputtarakhand.in](http://www.bcputtarakhand.in) से प्राप्त की जा सकती है।

प्रदेश में संचालित समस्त पंचकर्म केन्द्रों को उक्तानुसार निर्धारित मानकों को 60 दिनों के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा गठित समिति द्वारा पंचकर्म केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें मानकों की जांच की जायेगी। चिकित्सक व अन्य स्टॉफ के समस्त प्रमाण-पत्र (योग्यता, पंजीकरण तथा आई०डी प्रूफ) केन्द्र पर उपलब्ध हों तथा छायाप्रति डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा हो। मानक पूर्ण न होने अथवा अनियमितता होने की स्थिति में निर्धारित अर्थदण्ड व आवश्यकता होने पर पुलिस रिपोर्ट भी की जायेगी।

नोट- उक्त समस्त केन्द्रों पर क्रॉस मसाज पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

(बीरेन्द्र दत्त मैठाणी)  
रजिस्ट्रार

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- विज्ञापन व्यवस्थापक, Posimage Advertising, 2/1, मॉल रोड़, निकट दून स्कूल, देहरादून को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित को दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण व दैनिक हिन्दुस्तान (सम्पूर्ण उत्तराखण्ड गढ़वाल व कुमाऊ मण्डल) में शासन द्वारा निर्धारित डी०ए०वी०पी० दरों पर कम से कम स्थान पर दिनांक 06.01.2018 को प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- लेखा लिपिक, भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(बीरेन्द्र दत्त मैठाणी)  
रजिस्ट्रार



# भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

49@7] cyhj jkM} Mkyuokyk] ngjknw& 248001

Phone: 0135-2677469, Fax: 0135-2677469, E-mail: bcpuk.ddn@gmail.com, Website: www.bcputtarakhand.in

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में संचालित आयुर्वेदिक, पंचकर्म, स्पा, योग व प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2018 व दिनांक 29.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित पंचकर्म केन्द्रों हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं-

## भवन

क्र०सं०	भवन / कक्ष	संख्या	अभ्युक्ति
1	परामर्श कक्ष	01	
2	प्रतीक्षालय	01	
3	पंचकर्म कक्ष पुरुष	01	
4	पंचकर्म कक्ष महिला	01	
5	रसोईघर	01	
6	स्नानघर	01	
7	शौचालय	01	

## कार्मिक

क्र०सं०	कार्मिक का विवरण	संख्या	अभ्युक्ति
1	पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक	01	
2	पंचकर्म सहायक पुरुष	01	
3	पंचकर्म सहायक महिला	01	
4	पंचकर्म अटैण्डेन्ट पुरुष	01	
5	पंचकर्म अटैण्डेन्ट महिला	01	
6	स्वागती	01	
7	सफाईकर्मी	01	

## आवश्यक सामग्री (चिकित्सक कक्ष)

क्र०सं०	सामग्री का नाम	संख्या	अभ्युक्ति
1	मेज	01	
2	कुर्सी	01	
3	एकजामिनेशन मेज	01	
4	बी०पी० मशीन	01	
5	स्टेथोस्कोप	01	
6	थर्मामीटर	01	
7	एक्स रे व्यूअर बॉक्स	01	
8	वेयिंग स्केल	01	
9	वाश बेसिन	01	
10	ग्लाइकोमीटर	01	





# भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

49@7] cyhj jkM} Mkyuokyk] ngjknw& 248001

Phone: 0135-2677469, Fax: 0135-2677469, E-mail: bcpuk.ddn@gmail.com, Website: www.bcputtarakhand.in

## आवश्यक सामग्री (थेरेपी)

क्र०सं०	सामग्री का नाम (एक कमरे हेतु)	संख्या	अभ्युक्ति
1	द्रोणी	01	
2	स्वेदन बॉक्स	01	
3	शिरोधार पात्र स्टैण्ड सहित	01	
4	स्टीमर	01	
5	प्रेसर कुकर- नाड़ी स्वेद	01	
6	बस्ति यंत्र	01	
7	कैथेटर्स (सभी प्रकार के)	01	
8	आयुर्वेदिक तैल एवं दवाइयां	आवश्यकतानुसार	
9	वमन पीठ	01	
10	नस्य पीठ	01	
11	शिरोबस्ति	01	
12	वेसल्स, बाउल्स, चम्मच बड़े/छोटे, कढाई	आवश्यकतानुसार	
13	स्टोव	02	
14	एक्जॉस्ट फैन	01	
15	हीटर/ब्लोवर	02	
16	फायर इक्यूपमेन्ट्स	01	
17	माप जार	02	
18	बेड सीट (डिस्पोजेबल), तौलिये, कम्बल, थान, रूई, ग्लव्स	आवश्यकतानुसार	
19	पानी की सुविधा (पीने हेतु, थेरेपी हेतु व अन्य हेतु)	आवश्यकतानुसार	
20	वेश भूषा (यूनिफॉर्म)	समस्त स्टाँफ के लिए	
21	निस्संक्रामक	आवश्यकतानुसार	

- चिकित्सक व अन्य स्टाँफ के समस्त प्रमाण-पत्र (योग्यता, पंजीकरण तथा आई0डी प्रूफ) केन्द्र पर उपलब्ध हों तथा छायाप्रति डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा हो। उक्त समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर क्रॉस मसाज पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

प्रदेश में संचालित समस्त पंचकर्म केन्द्रों को उक्तानुसार निर्धारित मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य है। समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा गठित समिति द्वारा पंचकर्म केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें मानकों की जांच की जायेगी। मानक पूर्ण न होने अथवा अनियमितता होने की स्थिति में निर्धारित अर्थदण्ड व आवश्यकता होने पर पुलिस रिपोर्ट भी की जायेगी।